महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि. / सम्ब. / 2021 / 93136 दिनांकः 22.03.2021

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,
एस0एस0डी0 कालेज ऑफ लॉ,
गढ़मलपुर, नजीबाबाद, बिजनौर।

विषयः एस0एस0डी0 कालेज ऑफ लॉ, गढ़मलपुर, नजीबाबाद, बिजनौर सम्बद्धता विस्तारण पर दण्ड शुल्क के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय आनलाइन सम्बद्धता पत्रावली का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा संस्था **एस0एस0डी0 कालेज ऑफ लॉ, गढ़मलपुर, नजीबाबाद, बिजनौर** की स्नातक स्तर पर विधि संकायान्तर्गत एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम की स्थाई सम्बद्धता का अनुरोध किया है।

आपको अवगत कराना है कि आपके महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के पत्र संख्या रू.वि. / सम्बद्धता / 1016 / 1032–40 दिनांक 30.05.2016 के द्वारा तीन वर्ष हेतु अस्थाई सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की गई थी, आप द्वारा विलम्ब से स्थाई सम्बद्धता की पत्रावली प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि सम्बद्धता विस्तारण के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 23.07.2019 के संकल्प संख्या 6.03 के बिन्दु 2 में द्वितीय विस्तारण हेतु निम्न प्रावधान किये गये है।

(ब) जिन महाविद्यालय ने द्वितीय बार अथवा दो से अधिक बार विस्तारण का अनुरोध किया अथवा जो महाविद्यालय द्वितीय बार अथवा दो अधिक बार निरीक्षण कराने में असफल रहे उनको सम्बद्धता विस्तारण की अनुमति प्रदान की जाती है कि उन महाविद्यालयों से रू0 50,000 / – विलम्ब / दण्ड शुल्क प्राप्त किया जाये।

(स) जिन महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित समय के भीतर निरीक्षण हेतु पैनल की मांग नहीं की गयी उन महाविद्यालयों से रू0 50,000 / – विलम्ब / दण्ड शुल्क प्राप्त किया जायेगा।

अतः कार्यपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आप विलम्ब / दण्ड शुल्क के रूप में रू0 50,000 / – वित्त अधिकारी, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के नाम डी0डी0 रूप में विश्वविद्यालय को 05 दिवस के भीतर जमा करना सुनिश्चित करें, उसके उपरान्त ही सम्बद्धता विस्तारण की अनुमति प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियत्रंक।
3. प्रभारी बेवसाइट।
4. कम्पयूटर सेल।
5. प्रभारी आनलाइन प्रवेश सेल कालेज कोड 079 पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

सहायक कुलसचिव